

बीएसएनएल एम्पलॉईज यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्पलॉईज – बीएसएनएल

दिनांक: 13.01.2023

सेवा में,

श्री पी.के. पुरवार
सीएमडी बीएसएनएल,
भारत संचार भवन,
एच.सी. माथुर लेन, जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

महोदय,

विषय: – नॉन-एकजीक्यूटिवों की वेतन वार्ता में गतिरोध – आपके हस्तक्षेप के लिए अनुरोध – के संबंध में।

संदर्भ :- दूरसंचार विभाग का पत्र संख्या एफ.62-2/2016-एसयू दिनांक 27 अप्रैल, 2018।

उपरोक्त उद्धृत पत्र के संदर्भ में, हम आपके हस्तक्षेप के लिए मैं निम्नलिखित को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। संदर्भित पत्र के तहत, DoT ने बीएसएनएल प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह नॉन-एकजीक्यूटिवों के वेतन समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए और इसे विभाग (DoT) की मंजूरी के लिए भेजे। दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए निर्देश को साढ़े चार साल हो चुके हैं और अभी तक बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। बीएसएनएल प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच वेतन संशोधन वार्ता 20.07.2018 को शुरू हुई। लेकिन बीच-बीच में बात अटकती चली गई, जिसके लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में जारी पत्र के आधार पर, जिसमें बीएसएनएल प्रबंधन को नॉन-एकजीक्यूटिवों के संशोधित वेतनमान भेजने का निर्देश दिया गया है, बीएसएनएल प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच वेतन वार्ता एक बार फिर 10.06.2022 को शुरू हुई। वेतन वार्ता समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं, यानी 28.11.2022 को और 02.12.2022 को। लेकिन, प्रबंधन पक्ष द्वारा लिए गए कठोर और अनुचित स्टैंड के कारण इन बैठकों में ज्यादा प्रगति नहीं हुई, जो नीचे दी गई हैं: –

- 1) 27.07.2018 को आयोजित वेतन वार्ता समिति की बैठक में प्रबंधन पक्ष और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच सहमति के माध्यम से नॉन-एकजीक्यूटिवों के नए वेतनमानों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे बीएसएनएल को पेंशन अंशदान के भुगतान के संबंध में भारी व्यय करना पड़ेगा।
- 2) वेतन संशोधन समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं। केवल नॉन-एकजीक्यूटिवों के संशोधित वेतनमानों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और पेंशन संशोधन के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग को भेजा जाना चाहिए।
- 3) नॉन-एकजीक्यूटिवों के भत्तों में संशोधन अभी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भत्तों के संशोधन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

हमें आपके संज्ञान में लाते हुए दुख हो रहा है कि प्रबंधन पक्ष के उपरोक्त अनुचित रुख के कारण वेतन संशोधन वार्ता गतिरोध पर पहुंच गई है, जो नॉन-एकजीक्यूटिवों के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। प्रबंधन के उपरोक्त स्टैंड के संबंध में, हम अपने विचार निम्नानुसार व्यक्त करना चाहते हैं: –

क) 27.07.2018 को आयोजित वेतन वार्ता समिति की बैठक में प्रबंधन पक्ष और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच आम सहमति के माध्यम से वेतनमान पर पहले ही सहमति हो चुकी है, जिसे प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। नॉन-एकजीक्यूटिवों के पहले से ही अंतिम रूप दिए गए वेतनमानों के न्यूनतम और अधिकतम दोनों में कटौती करने का प्रबंधन पक्ष का प्रयास हमें अस्वीकार्य है। प्रबंधन पक्ष का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नॉन-एकजीक्यूटिवों के पहले से स्वीकृत वेतनमानों के परिणामस्वरूप कंपनी को पेंशन अंशदान के कारण भारी व्यय करना पड़ेगा। एकजीक्यूटिवों के मामले में, तीसरे पीआरसी द्वारा पहले से तय किए गए वेतनमानों को बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में नॉन-एकजीक्यूटिवों के पहले से ही अंतिम रूप दिए गए वेतनमान के न्यूनतम और अधिकतम को कम करने का प्रबंधन पक्ष का प्रयास हमें स्वीकार्य नहीं है।


ख) प्रबंधन पक्ष का स्टैंड है कि, वेतन संशोधन समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं और केवल वेतनमान को ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, दूरसंचार विभाग द्वारा बीएसएनएल प्रबंधन को संदर्भ के तहत उद्धृत पत्र द्वारा दिए गए निर्देश का घोर उल्लंघन है। नॉन-एकजीक्यूटिव वेतन संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसलिए प्रबंधन पक्ष को वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

ग) प्रबंधन का यह रुख कि अब भत्तों में संशोधन नहीं किया जाएगा, बहुत निराशाजनक है। 01.01.2007 से लागू किए गए अंतिम वेतन संशोधन में भी भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था। दरअसल, बीएसएनएल के गठन के बाद से बीएसएनएल कर्मचारियों को भत्तों में संशोधन करने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि बीएसएनएल प्रबंधन भत्तों में भी संशोधन स्वीकार करे।

पूर्वगामी के मद्देनजर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले में आप हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि वेतन समझौते पर बिना किसी देरी के हस्ताक्षर किए जाएं।

सधन्यवाद,

सादर,



(पी अभिमन्यु)
महासचिव
बीएसएनएलईयू



(चंद्रेश्वर सिंह)
महासचिव
एनएफटीई – बीएसएनएल

- प्रतिलिपि: (1) श्री के. राजारमन, सचिव, दूरसंचार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001।
(2) डॉ. महेश शुक्ला, सदस्य (सेवाएं), डिजिटल संचार आयोग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110 001
(3) श्री अरविंद वडनेरकर, निदेशक (एचआर), बीएसएनएल, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001
(4) श्री आर.के. गोयल, अध्यक्ष, संयुक्त वेतन वार्ता समिति, बीएसएनएल कंपनी, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001
(5) सुश्री अनीता जौहरी, पीजीएम (एसआर), बीएसएनएल कंपनी, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001